Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 9, Issue - 8, August - 2026

DOIs:10.2018/SS/202608010 --:-- Research Paper / Article / Review

जनसंचार माध्यमों का ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रभाव: गोरखपुर जनपद के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

कु. अमिता सिंह

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

Email - amitashrinet30@gmail.com

शोध सार : समकालीन भारतीय समाज में जनसंचार माध्यम केवल सूचना के प्रसार के साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि वे सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक सहभागिता और व्यक्तिगत निर्णय-क्षमता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं के रूप में विकसित हुए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण समाज में इनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सरकारी योजनाओं, वित्तीय सेवाओं तथा नागरिक अधिकारों से संबंधित जानकारी तक पहुँच सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक असमानताओं से प्रभावित रहती है। ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में जनसंचार माध्यमों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, सीमित आर्थिक संसाधन, शिक्षा का निम्न स्तर, गतिशीलता पर नियंत्रण तथा घरेलू दायित्व उनके अवसरों को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में समाचार-पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल दूरभाष, इंटरनेट तथा सामाजिक माध्यम महिलाओं को सूचना, ज्ञान और सामाजिक संपर्क के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करा सकते हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य गोरखपुर जनपद के ग्रामीण सामाजिक परिवेश में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों—शैक्षिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, राजनीतिक, सामाजिक और निर्णयात्मक—के संदर्भ में समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है तथा इसमें जनगणना आँकड़ों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, सरकारी दस्तावेजों, हिंदी भाषा के जनसंचार एवं महिला सशक्तिकरण संबंधी साहित्य तथा अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के प्रमुख कार्यों का उपयोग किया गया है। सैद्धांतिक स्तर पर नायला कबीर के संसाधन, एजेंसी और उपलब्धि संबंधी सशक्तिकरण दृष्टिकोण तथा अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है। अध्ययन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि जनसंचार माध्यम स्वयं सशक्तिकरण नहीं हैं, बल्कि वे ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ निर्मित कर सकते हैं जिनके माध्यम से महिलाएँ उपलब्ध संसाधनों को वास्तविक क्षमताओं और निर्णयों में बदल सकती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15--49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिलाओं के पास ऐसा मोबाइल दूरभाष था जिसका वे स्वयं उपयोग करती थीं, जबकि ग्रामीण महिलाओं में यह अनुपात 42 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल पहुँच का विस्तार होने के बावजूद लैंगिक और ग्रामीण-नगरीय डिजिटल अंतर बना हुआ है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि जनसंचार माध्यमों की वास्तविक सशक्तिकरणकारी क्षमता शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक स्वायत्तता, स्वतंत्र उपयोग, सुरक्षित डिजिटल वातावरण और संस्थागत समर्थन के साथ ही विकसित हो सकती है। अतः गोरखपुर में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए जनसंचार को केवल सूचना-प्रसार की नीति के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक क्षमता निर्माण और सहभागितापूर्ण विकास की रणनीति के रूप में देखने की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: जनसंचार माध्यम, ग्रामीण महिलाएँ, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन, डिजिटल असमानता, सूचना, सामाजिक चेतना, ग्रामीण समाज, गोरखपुर।

1. प्रस्तावना:

भारतीय ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति को केवल परिवार के भीतर उनकी भूमिका से समझना पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण महिला कृषि, पशुपालन, घरेलू उत्पादन, बच्चों के पालन-पोषण, वृद्धों की देखभाल और सामुदायिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, फिर भी उसके श्रम और निर्णयात्मक भूमिका को औपचारिक सामाजिक-आर्थिक मान्यता सीमित रूप में ही मिली है। ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक स्थिति जाति, वर्ग, शिक्षा, भूमि व संपत्ति पर अधिकार, पारिवारिक संरचना, वैवाहिक स्थिति तथा स्थानीय सामाजिक मान्यताओं से प्रभावित होती है। इन संरचनात्मक परिस्थितियों के बीच सूचना तक पहुँच स्वयं एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाती है, क्योंकि यह उपलब्ध अवसरों की जानकारी देकर विकल्पों का विस्तार करती है और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसीलिए जनसंचार माध्यमों और महिला सशक्तिकरण के संबंध को केवल तकनीकी विकास के संदर्भ में नहीं, बल्कि शक्ति, सामाजिक संरचना और एजेंसी के संदर्भ में समझना आवश्यक है।

भारत में जनसंचार माध्यमों के विकास ने ग्रामीण समाज में सूचना के स्वरूप को लगातार बदला है—समाचार-पत्र और रेडियो से आरंभ हुई व्यापक जनसंचार प्रक्रिया दूरदर्शन, उपग्रह प्रसारण, मोबाइल दूरभाष और इंटरनेट तक पहुँची है, और वर्तमान समय में सामाजिक माध्यमों ने संचार की प्रकृति को और अधिक सहभागी बना दिया है। पहले सामान्य ग्रामीण महिला मुख्यतः परिवार, पड़ोस, विद्यालय या सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती थी; अब वह अनेक मामलों में मोबाइल दूरभाष के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं और बाजार संबंधी जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकती है। इस परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचना अब केवल ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होने वाली प्रक्रिया नहीं रह गई है—डिजिटल माध्यमों ने उपयोगकर्ता को सूचना के उपभोक्ता होने के साथ-साथ निर्माता और प्रसारक बनने की संभावना भी दी है, जो महिला सशक्तिकरण के अध्ययन को एक नया आयाम प्रदान करता है।

हिंदी जनसंचार चिंतन में जवरीमल्ल पारख और जगदीश्वर चतुर्वेदी की कृतियाँ जनसंचार को केवल तकनीकी माध्यम न मानकर वैचारिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के भीतर समझने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं (पारख, 2000, 2010; चतुर्वेदी, 1996)। इनसे यह समझ विकसित होती है कि मीडिया सामाजिक वास्तविकता को केवल प्रतिबिंबित नहीं करता बल्कि उसके निर्माण में भी सक्रिय भूमिका निभाता है, इसलिए ग्रामीण महिलाओं पर मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करते समय यह देखना आवश्यक है कि मीडिया उन्हें किस प्रकार प्रस्तुत करता है और सार्वजनिक विमर्श में कितनी जगह देता है।

गोरखपुर जनपद इस अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ग्रामीण आबादी का आकार बहुत बड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोरखपुर की कुल जनसंख्या 44,40,895 थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 36,04,766 और ग्रामीण महिलाओं की संख्या लगभग 17.66 लाख थी। ऐसी जनसांख्यिकीय स्थिति में ग्रामीण महिलाओं तक सूचना पहुँचाने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, अतः यह शोध-पत्र इस प्रश्न की पड़ताल करता है कि जनसंचार माध्यम गोरखपुर की ग्रामीण महिलाओं के लिए किस सीमा तक सशक्तिकरणकारी संसाधन बन सकते हैं और किन सामाजिक संरचनाओं के कारण उनकी क्षमता सीमित होती है।

2. शोध समस्या:

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण से संबंधित अधिकांश विमर्श शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं तक पहुँच पर केंद्रित रहा है, जबकि सूचना और संचार के प्रश्न को अक्सर स्वतंत्र विश्लेषणात्मक आयाम के रूप में पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। किसी सरकारी योजना का उपलब्ध होना तभी अर्थपूर्ण है जब महिला को उसकी जानकारी हो, वह पात्रता समझ सके और आवेदन-प्रक्रिया तक पहुँच सके। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा भी तभी प्रभावी बनती है जब महिला संबंधित जानकारी समझकर निर्णय ले सके—इस प्रकार सूचना संसाधन और एजेंसी के बीच एक सेतु का कार्य करती है।

समस्या यह भी है कि डिजिटल तकनीक के प्रसार को अक्सर स्वतः महिला सशक्तिकरण का संकेत मान लिया जाता है, जबकि मोबाइल या इंटरनेट की उपलब्धता और उसके स्वतंत्र उपयोग में बड़ा अंतर है। यदि मोबाइल पर परिवार के किसी पुरुष सदस्य का नियंत्रण है, इंटरनेट-उपयोग की अनुमति सीमित है या ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी नहीं है, तो तकनीकी उपलब्धता सशक्तिकरण में अपेक्षित योगदान नहीं देगी। अतः वास्तविक शोध समस्या यह जानना नहीं है कि ग्रामीण महिलाएँ जनसंचार माध्यमों का उपयोग करती हैं या नहीं, बल्कि यह समझना है कि वे किस उद्देश्य से, किस स्वतंत्रता के साथ और किस सामाजिक परिणाम के लिए इनका उपयोग करती हैं।

3. अध्ययन के उद्देश्य:

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य गोरखपुर जनपद की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत पारंपरिक व डिजिटल माध्यमों की पहुँच की प्रकृति का अध्ययन करना, शिक्षा-स्वास्थ्य जागरूकता में इनकी भूमिका का विश्लेषण करना, आर्थिक गतिविधियों तथा सरकारी योजनाओं तक पहुँच पर प्रभाव समझना, राजनीतिक-नागरिक चेतना के निर्माण में योगदान का अध्ययन करना तथा डिजिटल असमानता, पितृसत्ता, आर्थिक निर्भरता और तकनीकी कौशल की कमी जैसी बाधाओं की पहचान करना प्रमुख उद्देश्य हैं। अध्ययन यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि जनसंचार माध्यमों को ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की व्यापक प्रक्रिया में किस प्रकार प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकता है।

4. शोध प्रश्न एवं परिकल्पनाएँ:

प्रस्तुत अध्ययन इन प्रमुख प्रश्नों पर केंद्रित है: क्या जनसंचार माध्यम ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-राजनीतिक जागरूकता को प्रभावित करते हैं? क्या मोबाइल और इंटरनेट तक पहुँच निर्णय-क्षमता तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से संबंधित है? क्या शिक्षा और डिजिटल साक्षरता मीडिया के सशक्तिकरणकारी प्रभाव को निर्धारित करती है? पितृसत्तात्मक संरचना मीडिया-उपयोग को किस प्रकार प्रभावित करती है? तथा क्या सामाजिक माध्यम महिलाओं को सूचना की उपभोक्ता के बजाय सक्रिय अभिकर्ता बनने का अवसर देते हैं?

इनके आधार पर मुख्य परिकल्पना यह है कि जनसंचार माध्यमों तक स्वतंत्र और नियमित पहुँच ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की संभावनाओं को बढ़ाती है। दूसरी परिकल्पना यह है कि शिक्षा और डिजिटल साक्षरता जितनी अधिक होगी, मीडिया-उपयोग उतना ही अधिक सशक्तिकरणकारी होगा। तीसरी, पितृसत्तात्मक नियंत्रण और आर्थिक निर्भरता मीडिया की सशक्तिकरणकारी क्षमता को सीमित करते हैं; और चौथी, सामाजिक माध्यमों का सक्रिय उपयोग महिलाओं की सहभागिता और अभिव्यक्ति के अवसरों को पारंपरिक माध्यमों की तुलना में अधिक व्यापक बना सकता है।

5. साहित्य समीक्षा:

महिला सशक्तिकरण पर उपलब्ध साहित्य स्पष्ट करता है कि सशक्तिकरण को केवल आर्थिक स्थिति में सुधार के रूप में नहीं देखा जा सकता। नायला कबीर ने संसाधन, एजेंसी और उपलब्धि को सशक्तिकरण के परस्पर-संबंधित आयामों के रूप में प्रस्तुत किया है (Kabeer, 1999); यह दृष्टिकोण ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में विशेष उपयोगी है क्योंकि सूचना-संचार साधन स्वयं संसाधन बन सकते हैं, परंतु उनका वास्तविक प्रभाव तभी उत्पन्न होता है जब महिला उस संसाधन पर नियंत्रण रखते हुए निर्णय ले सके। अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण भी स्पष्ट करता है कि विकास का मूल्य संसाधनों की उपलब्धता में नहीं बल्कि वास्तविक क्षमताओं और स्वतंत्रताओं के विस्तार में है (Sen, 1999)।

हिंदी साहित्य में भी शिक्षा, जागरूकता, संसाधनों पर नियंत्रण, क्षमता-निर्माण और सहभागिता को सशक्तिकरण के प्रमुख घटकों के रूप में देखा गया है। रघुवंशी (2018) ने इन्हें महत्वपूर्ण आयामों के रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि जैन (2024) ने महिला सशक्तिकरण की चुनौतियों को सामाजिक संरचना और लैंगिक असमानता से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया है। यह धारा स्पष्ट करती है कि सशक्तिकरण केवल आर्थिक कार्यक्रमों से नहीं, बल्कि चेतना, अधिकार-बोध और निर्णय-क्षमता में परिवर्तन से भी प्राप्त होता है।

जनसंचार के क्षेत्र में पारख और चतुर्वेदी का साहित्य विशेष रूप से उपयोगी है। पारख जनसंचार माध्यमों को वैचारिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के भीतर समझने की आवश्यकता पर बल देते हैं, जबकि चतुर्वेदी जनमाध्यमों और जनसंस्कृति के अंतर्संबंधों को रेखांकित करते हैं (पारख, 2000, 2010; चतुर्वेदी, 1996)। इन अध्ययनों से यह सैद्धांतिक आधार मिलता है कि मीडिया केवल निष्पक्ष सूचना-वितरण प्रणाली नहीं बल्कि सामाजिक अर्थों, सांस्कृतिक धारणाओं और शक्ति-संबंधों को भी प्रभावित करता है। इसके बावजूद उपलब्ध साहित्य में गोरखपुर की ग्रामीण महिलाओं और जनसंचार माध्यमों के बीच संबंध का विशिष्ट समाजशास्त्रीय अध्ययन सीमित दिखाई देता है—यही इस अध्ययन का प्रमुख शोध-अंतराल है।

अंतरराष्ट्रीय साहित्य में भी सूचना-संचार तकनीक और महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध को लेकर व्यापक विमर्श उपलब्ध है। रोजर्स (2003) का नवाचार-प्रसार सिद्धांत बताता है कि नई तकनीकों का प्रसार केवल उनकी उपलब्धता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सामाजिक नेटवर्क, आर्थिक स्थिति, शिक्षा और उपयोगिता जैसे तत्व भी उसके प्रसार को प्रभावित करते हैं। कबीर (1999) और सेन (1999) के दृष्टिकोणों को संयुक्त रूप से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी साधनों को वास्तविक सामाजिक शक्ति में बदलने के लिए व्यक्तिगत क्षमता और सामाजिक अवसरों की आवश्यकता होती है, इसलिए डिजिटल माध्यमों के विस्तार को महिला सशक्तिकरण का स्वतः प्रमाण मानना सैद्धांतिक रूप से उचित नहीं होगा।

6. सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य:

इस अध्ययन का प्रमुख सैद्धांतिक आधार सशक्तिकरण की संसाधन, एजेंसी और उपलब्धि संबंधी अवधारणा है। कबीर के अनुसार किसी व्यक्ति या समूह का सशक्तिकरण केवल संसाधन प्राप्त करने तक सीमित नहीं है; महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकल्पों का निर्माण कर सके और उन विकल्पों को वास्तविक निर्णयों में बदल सके (Kabeer, 1999)। ग्रामीण महिलाओं के संदर्भ में जनसंचार माध्यमों को इसी ढाँचे में समझा जा सकता है—समाचार-पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल और इंटरनेट सूचना-संसाधन हैं, यदि महिला इन तक स्वतंत्र पहुँच पाती है तो उसकी एजेंसी का विस्तार हो सकता है, और यदि प्राप्त सूचना के आधार पर वह स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक जीवन संबंधी निर्णय लेती है, तो सूचना वास्तविक उपलब्धि में परिवर्तित होती है।

सेन का क्षमता दृष्टिकोण इस विश्लेषण को और व्यापक बनाता है। सेन के अनुसार विकास का लक्ष्य केवल आय या भौतिक संसाधनों की वृद्धि नहीं, बल्कि मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रताओं और क्षमताओं का विस्तार है (Sen, 1999)। इस दृष्टि से जनसंचार माध्यम महिलाओं की क्षमता का विस्तार कर सकते हैं क्योंकि वे भौगोलिक सीमाओं को कम करते हैं और ज्ञान तक पहुँच उपलब्ध कराते हैं, किंतु क्षमता का निर्माण सामाजिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है—शिक्षा, आय, परिवार, सामाजिक मान्यताएँ और लैंगिक संबंध यह निर्धारित करते हैं कि महिला मीडिया से प्राप्त सूचना को किस सीमा तक उपयोग में ला सकती है।

रोजर्स का नवाचार-प्रसार सिद्धांत भी उपयोगी है, जिसके अनुसार तकनीक का सामाजिक प्रसार केवल उपलब्धता से नहीं बल्कि सामाजिक नेटवर्क, शिक्षा और स्वीकार्यता जैसे तत्वों से प्रभावित होता है (Rogers, 2003)। इन सिद्धांतों को संयुक्त रूप से देखने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जनसंचार माध्यमों की सशक्तिकरणकारी भूमिका तीन स्तरों पर विकसित होती है—पहला, संसाधन के रूप में सूचना तक पहुँच; दूसरा, एजेंसी के रूप में स्वतंत्र उपयोग व निर्णय; और तीसरा, उपलब्धि के रूप में सामाजिक-आर्थिक जीवन में वास्तविक परिवर्तन।

7. शोध-पद्धति:

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक प्रकृति का है तथा मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों—भारत की जनगणना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, सरकारी प्रकाशन, महिला सशक्तिकरण व जनसंचार संबंधी हिंदी साहित्य तथा अंतरराष्ट्रीय शोध-कृतियों—पर आधारित है। गोरखपुर की जनसांख्यिकीय स्थिति के लिए 2011 की जनगणना और जिला जनगणना हस्तपुस्तिका को आधार बनाया गया है। अध्ययन में ऐसे प्राथमिक सर्वेक्षण आँकड़ों का दावा नहीं किया गया है जो वास्तव में क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त न हुए हों, अतः निष्कर्षों को उपलब्ध द्वितीयक प्रमाणों और समाजशास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर समझा जाना चाहिए; भविष्य में इसे प्राथमिक आँकड़ों के माध्यम से विस्तारित किया जा सकता है।

8. जनसंचार माध्यम और ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का संबंध:

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में जनसंचार माध्यमों की पहली और सबसे प्रत्यक्ष भूमिका सूचना तक पहुँच बढ़ाना है। सूचना की कमी निर्णय-क्षमता को सीमित करती है, जबकि विश्वसनीय सूचना विकल्पों की संख्या बढ़ाती है—यदि ग्रामीण महिला सरकारी योजना, स्वास्थ्य सेवा या स्वरोजगार प्रशिक्षण की जानकारी स्वयं प्राप्त करती है, तो वह परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर नहीं रहती। लेकिन इस क्षमता का वास्तविक प्रभाव महिला की शिक्षा और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए सूचना तक पहुँच और सूचना के उपयोग की क्षमता को अलग-अलग देखना आवश्यक है।

9. शिक्षा और ज्ञान के विस्तार में भूमिका:

ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षा का अर्थ केवल औपचारिक विद्यालयी अध्ययन नहीं है—जीवनोपयोगी ज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी समझ, वित्तीय व कानूनी जानकारी तथा कृषि व रोजगार कौशल भी इसका हिस्सा हैं। रेडियो-दूरदर्शन ने लंबे समय तक शैक्षिक कार्यक्रमों से यह भूमिका निभाई है, और अब मोबाइल तथा इंटरनेट ने इसे अधिक व्यक्तिगत बना दिया है, जिससे महिला अपनी आवश्यकता के अनुसार सामग्री प्राप्त कर सकती है।

हालाँकि डिजिटल सामग्री की उपलब्धता का अर्थ डिजिटल ज्ञान नहीं है। महिला को सूचना की विश्वसनीयता पहचानने और उसका व्यावहारिक उपयोग करने की क्षमता भी चाहिए, इसीलिए डिजिटल साक्षरता को केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं बल्कि आलोचनात्मक सूचना-साक्षरता के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

10. स्वास्थ्य जागरूकता और जनसंचार:

गर्भावस्था, पोषण, प्रसव और परिवार नियोजन जैसे विषयों पर ग्रामीण महिलाओं को कई बार स्वतंत्र व विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं होती। जनसंचार माध्यम इन विषयों को सार्वजनिक विमर्श में ला सकते हैं—दूरदर्शन-रेडियो के स्वास्थ्य कार्यक्रमों से लेकर मोबाइल-आधारित सूचना तक, ये महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं व अधिकारों के प्रति जागरूक कर सकते हैं, जिससे वे समय पर चिकित्सकीय सहायता लेने की स्थिति में आ सकती हैं।

लेकिन डिजिटल स्वास्थ्य-जानकारी के साथ गलत सूचना का खतरा भी है, इसलिए स्थानीय भाषा में प्रमाण-आधारित सामग्री आवश्यक है। जनसंचार को आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी व्यवस्था के साथ जोड़कर अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, ताकि स्वास्थ्य संचार केवल संदेश-प्रसारण न रहकर महिलाओं की निर्णय-क्षमता विकसित करने का माध्यम बने।

11. आर्थिक सशक्तिकरण और बाजार तक पहुँच:

आर्थिक सशक्तिकरण महिला की निर्णय-क्षमता को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण आयाम है। ग्रामीण महिलाएँ कृषि, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे घरेलू व्यवसायों में योगदान करती हैं, और जनसंचार माध्यम बाजार-मूल्य, प्रशिक्षण, सरकारी सहायता, ऋण तथा ग्राहकों से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। मोबाइल दूरभाष इस संदर्भ में विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसके माध्यम से महिला ग्राहकों से संपर्क, डिजिटल भुगतान तथा बाजार संबंधी सूचना प्राप्त कर सकती है, जिससे उसकी आर्थिक गतिविधि केवल स्थानीय परिचितों तक सीमित न रहकर व्यापक बाजार से जुड़ सकती है।

स्वयं सहायता समूहों के लिए संचार माध्यमों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्तिगत ज्ञान सामूहिक ज्ञान में बदलता है। यह पक्ष कबीर के संसाधन-एजेंसी दृष्टिकोण से भी जुड़ता है, क्योंकि आर्थिक अवसरों की जानकारी तभी प्रभावी होती है जब महिला उसके आधार पर निर्णय लेने की स्थिति में हो (Kabeer, 1999)।

12. राजनीतिक जागरूकता और नागरिक सशक्तिकरण:

पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने के बावजूद प्रभावी राजनीतिक भागीदारी के लिए योजनाओं, ग्राम सभा, बजट और अधिकारों की जानकारी आवश्यक है। जनसंचार माध्यम महिलाओं को स्थानीय व राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं से परिचित कराते हैं, और सामाजिक माध्यम स्थानीय समस्याओं को सार्वजनिक विमर्श में लाने का अवसर भी देते हैं, जिससे महिला की नागरिक भूमिका अधिक सक्रिय हो सकती है।

इस संदर्भ में मीडिया साक्षरता विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि गलत सूचना और अफवाहें राजनीतिक समझ को प्रभावित कर सकती हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण की वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब महिला मतदान के साथ-साथ ग्राम सभा और सामुदायिक संस्थाओं में अपने विचार व्यक्त करने तथा निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता विकसित करे।

13. सामाजिक चेतना और लैंगिक संबंधों में परिवर्तन:

जनसंचार माध्यम महिलाओं को स्थानीय परिवेश से बाहर की जीवन-स्थितियों से परिचित कराते हैं। किसी महिला उद्यमी, शिक्षिका या पंचायत प्रतिनिधि की कहानी ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकती है और उनकी आकांक्षाओं का विस्तार कर सकती है, जिससे वे घरेलू भूमिका के अतिरिक्त शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय भूमिका की कल्पना कर सकती हैं।

लेकिन मीडिया का प्रभाव सदैव सकारात्मक नहीं होता—यह महिलाओं के आदर्शीकृत या उपभोक्तावादी चित्र भी प्रस्तुत कर सकता है, जिससे वास्तविक ग्रामीण महिला की समस्याएँ अदृश्य हो सकती हैं। इसलिए मीडिया सामग्री का आलोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक है, जैसा कि पारख और चतुर्वेदी के जनमाध्यम संबंधी विमर्श से भी स्पष्ट होता है (पारख, 2000, 2010; चतुर्वेदी, 1996)।

14. मोबाइल दूरभाष और व्यक्तिगत स्वायत्तता:

मोबाइल दूरभाष ग्रामीण महिला के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह व्यक्तिगत संचार का माध्यम बन सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15–49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिलाओं के पास स्वयं-उपयोग वाला मोबाइल था, जबकि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अनुपात 42 प्रतिशत था, जो डिजिटल पहुँच में ग्रामीण-नगरीय अंतर स्पष्ट करता है। मोबाइल के माध्यम से महिला परिवार-बाहर के सामाजिक नेटवर्क, सरकारी सेवाओं, बैंकिंग और स्वास्थ्य-शिक्षा संबंधी जानकारी से जुड़ सकती है।

मोबाइल स्वामित्व और उपयोग में अंतर करना भी आवश्यक है—यदि मोबाइल महिला के नाम पर है पर उसका उपयोग परिवार के अन्य सदस्य नियंत्रित करते हैं, तो इसे पूर्ण डिजिटल स्वायत्तता नहीं माना जा सकता। वास्तविक डिजिटल सशक्तिकरण तब दिखाई देता है जब महिला संपर्क और सेवाओं के उपयोग के बारे में स्वयं निर्णय ले सके।

15. डिजिटल असमानता और पितृसत्ता:

डिजिटल असमानता केवल उपकरणों की कमी नहीं बल्कि उपकरण, इंटरनेट, कौशल, भाषा, शिक्षा और स्वतंत्र उपयोग के बीच मौजूद असमानताओं का संयुक्त परिणाम है। ग्रामीण महिलाओं में यह समस्या और जटिल हो जाती है क्योंकि कई परिवार महिलाओं के मोबाइल-उपयोग को सामाजिक मर्यादा या नियंत्रण से जोड़ते हैं, जिससे तकनीकी सुविधा उपलब्ध होने पर भी महिला की एजेंसी सीमित रहती है।

इसलिए डिजिटल सशक्तिकरण को पितृसत्तात्मक संबंधों से अलग करके नहीं समझा जा सकता—यदि परिवार महिला के स्वतंत्र संचार को स्वीकार करता है तो मोबाइल उसकी स्वायत्तता बढ़ा सकता है, अन्यथा वही उपकरण निगरानी का साधन बन सकता है। ग्रामीण महिला के लिए डिजिटल स्वतंत्रता का अर्थ केवल तकनीक तक पहुँच नहीं, बल्कि उसके उपयोग पर सामाजिक अधिकार भी है।

16. स्वयं सहायता समूह और सामूहिक सशक्तिकरण:

ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह जनसंचार माध्यमों और सामूहिक सशक्तिकरण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। यदि इन समूहों को डिजिटल संचार से जोड़ा जाए तो सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण और बाजार संबंधी जानकारी तेजी से साझा की जा सकती है, जिससे ऐसी महिलाओं तक भी सूचना पहुँच सकती है जो स्वयं इंटरनेट का नियमित उपयोग नहीं करतीं।

यहाँ सामूहिकता की भूमिका विशेष महत्व रखती है—यदि एक महिला किसी योजना की जानकारी समूह की अन्य महिलाओं तक पहुँचाती है, तो सूचना व्यक्तिगत संसाधन से सामूहिक संसाधन में बदल जाती है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए स्थानीय सूचना केंद्रों की भूमिका निभा सकते हैं।

17. सरकारी योजनाओं और सूचना तक पहुँच:

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक सरकारी योजनाएँ संचालित होती हैं, लेकिन जानकारी का अभाव, आवेदन-प्रक्रिया की जटिलता और स्थानीय मार्गदर्शन की कमी महिलाओं को इनसे दूर कर सकती है। जनसंचार माध्यम इस दूरी को कम कर सकते हैं, विशेषकर यदि सरल हिंदी और स्थानीय सामाजिक संदर्भ में जानकारी प्रसारित की जाए।

हालाँकि केवल प्रचार पर्याप्त नहीं है—सूचना के साथ सहायता व्यवस्था भी आवश्यक है, क्योंकि यदि आवेदन-प्रक्रिया समझ न आए तो सूचना का वास्तविक लाभ सीमित रहेगा। इसलिए पंचायत, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय प्रशासन को सूचना और सेवा के बीच सेतु की भूमिका निभानी चाहिए, जहाँ जनसंचार माध्यम विकास प्रशासन के साथ जुड़ते हैं।

18. गोरखपुर के संदर्भ में समाजशास्त्रीय विश्लेषण:

गोरखपुर की विशाल ग्रामीण आबादी के कारण जनसंचार माध्यमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं। 2011 में ग्रामीण आबादी 36,04,766 होने के कारण जनपद में ग्रामीण महिलाओं की संख्या भी बहुत बड़ी थी, ऐसी स्थिति में प्रत्येक महिला तक व्यक्तिगत रूप से सूचना पहुँचाना कठिन हो सकता है, जबकि जनसंचार माध्यम व्यापक आबादी तक अपेक्षाकृत कम लागत में पहुँच सकते हैं। लेकिन गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विविधता को देखते हुए मीडिया के प्रभाव को एकसमान मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा, आय, परिवार की संरचना, सामाजिक स्थिति और तकनीकी सुविधा में अंतर महिलाओं के मीडिया-उपयोग को अलग-अलग रूप दे सकता है।

गोरखपुर के संदर्भ में ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय सूचना नेटवर्क के रूप में विकसित किया जा सकता है। महिला समूहों को सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और आजीविका से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल-आधारित समूहों का उपयोग किया जा सकता है, और स्थानीय भाषा की डिजिटल सामग्री महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है। गोरखपुर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, आय और सामाजिक संरचना में मौजूद अंतर को देखते हुए एक समान संचार नीति के बजाय स्थानीय आवश्यकता आधारित मॉडल विकसित करना अधिक प्रभावी होगा।

19. जनसंचार माध्यमों की सीमाएँ और चुनौतियाँ:

जनसंचार माध्यमों की संभावनाओं के बावजूद इनके सशक्तिकरणकारी प्रभाव की कई सीमाएँ हैं—आर्थिक बाधा (स्मार्टफोन-डेटा की लागत), शिक्षा व डिजिटल कौशल की कमी, पितृसत्तात्मक नियंत्रण, भाषा एवं सामग्री की सीमाएँ, सूचना की विश्वसनीयता, साइबर सुरक्षा व ऑनलाइन उत्पीड़न, तथा महिलाओं पर घरेलू कार्यों के अधिक भार के कारण समय की कमी।

इन सीमाओं को देखते हुए केवल तकनीकी साधनों का वितरण पर्याप्त नहीं होगा—यदि मोबाइल है पर उपयोग का समय नहीं, इंटरनेट है पर डिजिटल कौशल नहीं, या जानकारी है पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं, तो सशक्तिकरण की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। इसीलिए जनसंचार आधारित सशक्तिकरण को सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन के साथ जोड़ना आवश्यक है।

20. प्रमुख निष्कर्ष:

अध्ययन से पहला निष्कर्ष यह निकलता है कि जनसंचार माध्यम ग्रामीण महिलाओं की सूचना-निर्भरता कम करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, शिक्षा और डिजिटल साक्षरता मीडिया के प्रभाव को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तीसरा, मोबाइल और इंटरनेट आर्थिक गतिविधियों, स्वास्थ्य जागरूकता तथा सरकारी योजनाओं तक पहुँच के नए अवसर दे सकते हैं। चौथा, सामाजिक माध्यम अभिव्यक्ति व सामूहिकता का अवसर देते हैं, लेकिन गलत सूचना और साइबर जोखिम इनके प्रभाव को सीमित कर सकते हैं। पाँचवाँ, पितृसत्तात्मक संरचना मीडिया के सशक्तिकरणकारी प्रभाव को नियंत्रित कर सकती है। छठा, केवल मोबाइल स्वामित्व सशक्तिकरण का पर्याप्त संकेतक नहीं है—स्वतंत्र उपयोग अधिक महत्वपूर्ण है। सातवाँ, स्वयं सहायता समूह जनसंचार को व्यक्तिगत से सामूहिक सामाजिक संसाधन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

21. नीतिगत सुझाव:

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए जनसंचार नीति को उपकरण-वितरण से आगे बढ़ाकर क्षमता-निर्माण पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जहाँ मोबाइल-उपयोग के साथ बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य सूचना और साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए। स्वयं सहायता

समूहों को स्थानीय सूचना केंद्रों के रूप में विकसित करना उपयोगी होगा, जहाँ प्रशिक्षित महिलाओं को सूचना-सहायिका के रूप में तैयार किया जा सके। सामग्री स्थानीय भाषा और सरल हिंदी में तैयार होनी चाहिए ताकि भाषा स्वयं बाधा न बने।

स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं की सामग्री को आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, तथा महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए विशेष डिजिटल प्रशिक्षण विकसित किए जा सकते हैं। महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा को नीति का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न व धोखाधड़ी से निपटने का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल हो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ग्रामीण महिलाओं को केवल मीडिया की दर्शक न मानकर उन्हें स्वयं सामग्री-निर्माता और स्थानीय सूचना-संचारक बनने का अवसर दिया जाए।

22. निष्कर्ष

जनसंचार माध्यमों और ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के संबंध को केवल तकनीकी विकास या सूचना-प्रसार के दृष्टिकोण से समझना पर्याप्त नहीं है; यह संबंध मूलतः सामाजिक शक्ति, संसाधनों तक पहुँच, एजेंसी और निर्णय-क्षमता से जुड़ा है। गोरखपुर जैसे बड़े ग्रामीण जनपद में जनसंचार माध्यम शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधि, सरकारी योजनाओं, राजनीतिक सहभागिता और सामाजिक चेतना के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। 2011 की जनगणना में गोरखपुर की ग्रामीण आबादी का अत्यधिक बड़ा आकार इस प्रश्न को विशेष महत्वपूर्ण बनाता है, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वयं-उपयोग मोबाइल की पहुँच मात्र 42 प्रतिशत दर्ज होना यह संकेत देता है कि डिजिटल सशक्तिकरण की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है।

अध्ययन स्पष्ट करता है कि सूचना की उपलब्धता और सशक्तिकरण के बीच सीधा तथा स्वतःस्फूर्त संबंध नहीं है—महिला को सूचना तक पहुँच के साथ उसे समझने, उसकी विश्वसनीयता परखने और उसके आधार पर निर्णय लेने की क्षमता भी चाहिए। कबीर का संसाधन-एजेंसी-उपलब्धि दृष्टिकोण (Kabeer, 1999) और सेन का क्षमता दृष्टिकोण (Sen, 1999) इस संबंध को समझने में विशेष उपयोगी हैं—अतः मोबाइल या इंटरनेट को अपने आप सशक्तिकरण का पर्याय नहीं माना जा सकता।

हिंदी जनसंचार चिंतन में पारख और चतुर्वेदी का कार्य यह समझने में सहायता करता है कि मीडिया सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक अर्थों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता है (पारख, 2000, 2010; चतुर्वेदी, 1996), और महिला सशक्तिकरण संबंधी हिंदी साहित्य भी शिक्षा, जागरूकता, संसाधनों पर नियंत्रण, क्षमता-निर्माण और सहभागिता को इसके महत्वपूर्ण घटकों के रूप में स्वीकार करता है (रघुवंशी, 2018)। दोनों विमर्शों को साथ देखने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मीडिया तभी सशक्तिकरणकारी शक्ति बनता है जब महिला उसके उपयोग पर पर्याप्त नियंत्रण रखती हो।

गोरखपुर के ग्रामीण संदर्भ में स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्थानीय प्रशासन जनसंचार माध्यमों को महिला-केंद्रित सूचना व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। यदि महिलाओं को स्थानीय भाषा में विश्वसनीय जानकारी, डिजिटल कौशल, सुरक्षित संचार वातावरण और स्वतंत्र उपयोग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, तो जनसंचार माध्यम उनकी व्यक्तिगत एजेंसी के साथ-साथ सामूहिक सामाजिक शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस शोध का केंद्रीय निष्कर्ष यह है कि जनसंचार माध्यम स्वयं महिला सशक्तिकरण नहीं हैं, बल्कि वे सशक्तिकरण की सामाजिक संभावनाओं को विस्तृत करने वाले महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जिन्हें वास्तविक शक्ति में बदलने के लिए शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक स्वायत्तता, सामाजिक स्वतंत्रता और संस्थागत समर्थन का समानांतर विकास आवश्यक है।

संदर्भ सूची:-

1. चतुर्वेदी, ज. (1996). जनमाध्यम और मास कल्चर. सारांश प्रकाशन।
2. जैन, क. (2024). महिला सशक्तिकरण: चुनौतियाँ एवं समाधान. शाश्वत प्रकाशन।
3. जीनगर, अ. ल., कुमारी, प., एवं चौधरी, र. (2025). महिला सशक्तिकरण और नारीवाद. मीडो पब्लिकेशन।
4. पारख, ज. (2000). जनसंचार माध्यमों का वैचारिक परिदृश्य. ग्रंथ शिल्पी।
5. पारख, ज. (2010). जन संचार माध्यम और सांस्कृतिक विमर्श. ग्रंथ शिल्पी।
6. रघुवंशी, र. (2018). महिला सशक्तिकरण: प्रकृति एवं स्वरूप. अकादमिक पब्लिकेशन।
7. Directorate of Census Operations, Uttar Pradesh. (2016). Census of India 2011: Uttar Pradesh, series 10, part XII-B, district census handbook, Gorakhpur: Primary census abstract. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.
8. Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Development and Change, 30(3), 435--464.
9. McLuhan, M. (1964). Understanding media: The extensions of man. McGraw-Hill.
10. Ministry of Health and Family Welfare. (2021). National family health survey (NFHS-5), 2019--21: Uttar Pradesh. Government of India.
11. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. (2011). Census of India 2011: Primary census abstract. Government of India.
12. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press.
13. Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.